फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

आशा उर्फ मुस्कान बनाम तारावंती केसवानी

केस संख्या : 29 /2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

दिनांक आज्ञा व कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप
09.07.2024	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। अपीलार्थी ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 40/2023 ब उनवानी तारावंती केसवानी बनाम आशा उर्फ मुस्कान व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.06.2024 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। अपीलार्थी का कथन है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच ने सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 उनवानी माया देवी व अन्य बनाम विश्वेशर दयाल व अन्य में दिनांक 01.05.2023 को आदेश पारित किया गया है, जिसके अनुसार यह अपील सुनवाई क्षेत्राधिकार में है। अपीलार्थी व उसके प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया । माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 की धारा 16 के अनुसार " अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता–पिता आदेश की तिथि से 60 दिवसों के अन्दर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा। " माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर द्वारा सिविल रिट पीटीशन नम्बर 11941/2021 ब उनवानी मायादेवी बनाम विश्वेशर दयाल व अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 की प्रति एडीशनल सोलीसीटर जनरल भारत सरकार को अधिनियम में परिवर्तन कराने के लिए प्रेषित की गई है। यह अपील पुत्री एवं दामाद द्वारा पेश की गई है। जब तक अधिनियम में इस बाबत आवश्यक परिवर्तन नहीं हो जाता या सक्षम मान्य न्यायालय द्वारा निर्देश नहीं दिये जावे तब तक पुत्री व दामाद द्वारा अपीलीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत अपील सुनवाई हेतु ग्रहण योग्य नहीं है। फलस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील क्षेत्राधिकार में नहीं होने से खारिज की जाती है। अपीलार्थी सक्षम न्यायालय में चारःजोई करने के लिए स्वंतत्र है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो। (प्रकाश राजपुरोहित) जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)